भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1972

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर सड़क दुर्घटनाएं

†1972. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में गन्नावरम और नल्लाजेरला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर प्रतिदिन औसतन कम से कम एक सड़क दुर्घटना सूचित होती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-16 का उक्त खंड खराब और असमतल है, जहाँ अवरोधों और अनियमितताओं के कारण अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में, विशेषकर एलुरु जिले में गन्नावरम और नल्लाजेरला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर हुई दुर्घटनाओं और मृतकों की कुल संख्या कितनी है और दुर्घटनाओं से हुए नुकसान के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सड़क पर रखरखाव या मरम्मत कार्य में देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस मार्ग पर यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के इस खंड विशेष पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कैलेंडर वर्ष के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं के आँकड़े एकत्र करता है और उन्हें वार्षिक प्रकाशन 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ' में प्रकाशित करता है। आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2018 से 2022 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं, मृतकों और घायल व्यक्तियों की संख्या का विवरण, नीचे दिया गया है:

कैलेंडर वर्ष	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
दुर्घटनाओं की संख्या	8122	7682	7167	8241	8650
मृतकों की संख्या	2929	3114	2858	3602	3793
घायल व्यक्तियों की संख्या	8251	8651	7215	8323	8890

इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएच-16 के गन्नावरम से नल्लाजेरला खंड पर कुल 1614 दुर्घटनाओं और 254 मौतों की सूचना दी है।

(ख), (घ), (ङ) और (च) गन्नावरम से नल्लाजेरला तक के खंड को ठेकेदारों/रियायतग्राही द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है। तथापि, कुछ संरचनाओं के पहुंचमार्गों पर कभी-कभी धंसाव देखा गया है, जिन्हें समय-समय पर रियायतग्राही/ठेकेदारों द्वारा ठीक किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, त्रुटियों की पहचान के लिए नियमित रूप से स्थल निरीक्षण किए जाते हैं और रियायतग्राही/ठेकेदारों के माध्यम से सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। एनएचएआई ने सड़क सुरक्षा परामर्शदाताओं की भी नियुक्ति की है और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय जैसे साइन बोर्ड, गति नियंत्रण उपाय, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आदि किए जाते हैं। इसके अलावा, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के समन्वय से सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****